न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 53/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कानाराम पुत्र वेनाराम जाति देवासी निवासी देवासियों की ढाणी, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : —15/05/2020

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी, पटवार हल्का बगड़ी चक संख्या प्रथम में वादी के पिता वेनाराम की खातेदारी सुदा, कब्जा सुदा, मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.8800 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 1.3100 हैक्टर, किस्म बारानी अव्वल कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.1900 हैक्टर आई हुई है, वादी की माता अणची बाई की मृत्यु आज से करीब 12 वर्ष पूर्व हो चुकी है, तथा राशन कार्ड में भी मृत्यु का नोट डालकर वादी की माता का नाम हटा दिया गया है तथा वादी के पिता वेनाराम की भी मृत्यु भी दिनांक 27/04/2015 को हो चुकी है, वादी के माता—पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है, वादी के अलावा स्वर्गीय वेनाराम जी के अन्य कोई वारिश एवं सन्तान नहीं है। वादी के सम्पूर्ण दस्तावेज भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक, भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, जोधपुर वितरण निगम के विद्युत बिल, भारत सरकार के द्वारा जारी आधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पुराना परिवार कार्ड, नया परिवार राशन कार्ड, तथा जॉब कार्ड, वाहन मोटरसाईकिल की आर.सी. बुक तथा ग्राम पंचायत बगड़ी द्वारा जारी मकान के पट्टा की रसीद दिनांक 02/06/1990 तथा राहत श्रमिकों के लिये जारी परिवार परिचय पत्र दिनांक 01/07/1983 सम्पूर्ण दस्तावेज में कानाराम पुत्र वेनाराम नाम दर्ज है। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी ने पटवारी हल्का के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेज पेशकर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि में वादी के पिता वेनाराम जी के स्थान पर वादी का नाम दर्ज कर बतौर खातेदार के दर्ज किया जावे। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के वादी को करीब पांच साल तक चक्कर कटवाये लेकिन नामान्तरण दर्ज कर खातेदारी दर्ज नहीं की। वादी ने दिनांक 15/03/2019 को तहसीलदार सोजत एवं नायब तहसीलदार बगड़ी के समक्ष भी एक प्रार्थना पत्र मय सम्पूर्ण दस्तावेज एवं वादी का स्वयं का शपथ पत्र पेशकर खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर सम्बन्धित कार्यालय द्वारा क्रमांक 19/54 दिनांक 15/03/2019 को यह आदेश पारित किया कि मुल ही प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का चक प्रथम को भेज कर लेख है कि प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना आज दिन तक नहीं की है, जिससे वादी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिये वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिये यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी के धारा 88 आर.टी. एक्ट के श्रीमान के समक्ष पेश किया कर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी फरमायी जावे कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी, पटवार हल्का बगड़ी चक संख्या प्रथम में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.8800 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 1.3100 हैक्टर, किस्म बारानी अव्वल कुल खसरे 2 दो जिसका कुल रकबा 2.1900 हैक्टर की कृषि भूमि के खाता संख्या नये 955 में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में स्व. वेनाराम के स्थान पर वादी का नाम कानाराम पुत्र वेनाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी चक प्रथम में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 08 वादी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 09 से 11 कानूनी होना जाहिर किया हैं।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य वादी में वादी कानाराम पी0डब्ल्यू 1 तथा अन्य स्वतत्र गवाह भैराराम पी0डब्ल्यू 2 तथा चैनाराम पी0डब्ल्यू 3 के बयान कलमबद्ध करवाये तथा दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें। दिनांक 04.07.2024 को ओर शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत बंद की गई। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत शहादत प्रतिवादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक, भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, जोधपुर वितरण निगम के विद्युत बिल, भारत सरकार के द्वारा जारी आधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पुराना परिवार कार्ड, नया परिवार राशन कार्ड, तथा जॉब कार्ड, वाहन मोटरसाईकिल की आर.सी. बुक तथा ग्राम पंचायत बगड़ी द्वारा जारी मकान के पट्टा की रसीद दिनांक 02/06/1990 तथा राहत श्रमिकों के लिये जारी परिवार परिचय पत्र दिनांक 01/07/1983 प्रति पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि वादी के पिता के खातेदारी, कब्जासुदा की स्थित है, जिस पर वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् से ही वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी की माता का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। स्व0 वेनाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान वादी के अलावा अन्य कोई नहीं हैं। जिससे उपरोक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में स्व. वेनाराम के स्थान पर वादी का नाम कानाराम पुत्र वेनाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, गवाह बयानात, प्रदर्शित दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक, भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, जोधपुर वितरण निगम के विद्युत बिल, भारत सरकार के द्वारा जारी आधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पुराना परिवार कार्ड, नया परिवार राशन कार्ड, तथा जॉब कार्ड, वाहन मोटरसाईकिल की आर.सी. बुक तथा ग्राम पंचायत बगड़ी द्वारा जारी मकान के पट्टा की रसीद दिनांक 02/06/1990 तथा राहत श्रमिकों के लिये जारी परिवार परिचय पत्र दिनांक 01/07/1983 प्रति पेश किये हैं। पुराना राशन कार्ड सं0 1542 तथा उप तहसीलदार बगड़ी को फौतेदगी म्यूटेशन हेतु आवेदन मय शपथ पत्र से वादी के स्व0 वेनाराम के एकमात्र प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी कानाराम पुत्र वेनाराम को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वेनाराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कानाराम पुत्र वेनाराम का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगड़ी, पटवार हल्का बगड़ी चक संख्या प्रथम में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.8800 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 1.3100 हैक्टर, किस्म बारानी अव्वल कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.1900 हैक्टर का वादी कानाराम पुत्र वेनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वेनाराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कानाराम पुत्र वेनाराम का नाम दर्ज कर वेनाराम पुत्र गंगाराम के अन्य कोई विधिक वारिशान के संबंध में विधिसम्मत जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 5/03/2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)